सत्यमेव जयते
Rajasthan RERA

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851900 वेबसाईट & http://rera.rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/525 दिनांक :– 17/03/2021

आदेश

दी रीयल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 37 एवं दी राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशनस्, 2017 के अनुच्छेद 23(3) के अन्तर्गत ऑथोरिटी को प्रदत शक्तियों के क्रम में, निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :

आदेश क्रमांक 1429 दिनांक 25.08.2020 एवं आदेश क्रमांक 3080 दिनांक 16.08.2019 के पैरा 3 व 4 के अनुसार प्रोजेक्ट के पंजीकरण की वैद्यता अवधि बढ़ाने बाबत् देय फीस की गणना रजिस्ट्रर्ड प्रोजेक्ट के फेज ऐरिया के आधार पर की जाती रही है।

इस क्रम में ऑॅथोरिटी के समक्ष कतिपय ऐसे प्रकरण सामने आऐ हैं जिनमें रजिस्ट्रर्ड प्रोजेक्ट का फेज ऐरिया काफी बड़ा है एवं स्थानीय निकाय/एमपैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा आंशिक कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है।

अतः अब भविष्य के लिये यह निर्धारित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों, जिनमें फेज ऐरिया 5000 वर्गमीटर से अधिक है एवं प्रोजेक्ट का आंशिक कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, में फेज ऐरिया के जिस भाग का स्थानीय निकाय/एमपैनल्ड आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आंशिक कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है को छोड़ कर फेज ऐरिया के केवल शेष भाग पर और यदि ऐसा शेष भाग 5000 वर्गमीटर से कम है तो 5000 वर्गमीटर पर देय फीस की गणना की जावेगी।

ऐसे प्रकरणों में प्रमोटर द्वारा Online extension application form के Actual Phase Area के कॉलम में, फेज ऐरिया के कम्पलीशन से शेष ऐरिया को भरा जाना होगा और यदि ऐसा शेष ऐरिया 5000 वर्गमीटर से कम है तो 5000 वर्गमीटर भरा जाएगा। साथ ही Online extension application form के Additional Information कॉलम में, यह सपष्ट करना होगा कि कितने ब्लॉक/भाग का

कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा चुका है और उस भाग का ऐरिया कितना बनता है। इसके अतिरिक्त कम्पलीटेड ऐरिया और शेष ऐरिया को साईट प्लान/ले–आउट प्लान पर मार्क कर उसे व साथ ही प्राप्त सभी आंशिक कम्पलीशन/ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट को Online extension application form के Other documents tab में अपलोड करना होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से अर्थात् इसके जारी होने की दिनांक से लागू होगा और इसके आधार पर पूर्व में निर्णित किये जा चुके मामले पुनः नहीं खोले जायेगे।

यह आदेश ऑथोरिटी के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रमेश चंद्र शर्मा)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- PS to Chairman, Rajasthan RERA
2- PS to Member (Sh. Shailendra K. Agarwal), Rajasthan RERA
3- PS to Member (Sh. Salvinder Singh Sohata), Rajasthan RERA
4- PS to Adjudicating Officer, Rajasthan RERA
5- PS to Registrar, Rajasthan RERA
6- SA, DoIT & RISL Sh. Mukesh Arora
7- Coordinator, Conciliation Forum, Rajasthan RERA
8- Chairman/President, Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI) Rajasthan, 424, 4th Floor, Laxmi Complex, MI Road, Jaipur - 302001
9- Chairman/President, Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (CREDAI) NCR Bhiwadi Neemrana, E-127, Industrial Area, Bhiwadi, Alwar-301019
10- President, Township Developer Association of Rajasthan (TODAR), Prim Pavilion, E-66, Nakul Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur – 302015
11- Chairman/President, Rajasthan Affordable Housing Developers Association (RAHDA) S-220, Time Square, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur
12- Vice Chairman, RAJREDCO, Jaipur
13- Chairman, All India Federation of Tax Practitioners (CZ), c/o Shri Pankaj Ghiya, 10, Ganesh Colony, Bhairav Path, JLN Marg, Jaipur-302004
14- Chairman, RERA Awareness Committee, ICAI, Jaipur Branch, Jain Rathore & Associates, 105, Jagdish Enclave, Hawa Sadak, Civil Line Circle, Opp. Ram Mandir, Jaipur-302006.
15- Chairman, RERA Committee, Tax Consultant Association, Jaipur, 801-803, 8th Floor, Signature Tower, DC-2, Behind Apex Bank, Tonk Road, Jaipur – 302015
16- President, RERA India Educational & Resources Federation, 4F-42, Mahima Triniti Mall, Swage Farm, New Sanganer Road, Jaipur-302019
17- Chairman, The Indian Institute of Architects, Rajasthan Chapter, 400, F-72, 'Suryoday', Subhash Marg, Bagadiya Bhawan, C-Scheme, Jaipur-302001
18- Chairman/Secretary, Rajasthan Realtors Association (RRA), 308, 3rd Floor, Plot No. 1, Felicity Tower, Sahakar Marg, Lal Kothi, Jaipur- 302005
19- Chief Editor, RERA Times, Ghiya & Company, E-68, Ghiya Hospital Complex, Sector-12, Malviya Nagar, Jaipur – 302017
20- All officers of Rajasthan RERA
21- Guard File
22- Rajasthan RERA Website
23- All promoters (through their dashboard)

रजिस्ट्रार